COPY

Red-85

Sanjai Kumar Pathak
H/o Late Smt. Shikha Pathak, ACJM-VIIth, Ghaziabad
KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

To, Sri V.C. Gupta
Hon'ble the District Judge, Ghaziabad

BY HAND

Reference: Shikha/ACJM/ arrears

dated 30.04.2011

Subject: Arrears of salary, earned leave and medical leave encashment

Respected Sir,

You are aware that Mrs. Shikha Pathak, ACJM-VII, Ghaziabad left for heavenly abode on 07.03.2011.

The undersigned is husband of Late Shikha Pathak. Kindly clear the arrears of salary, earned leave encashment and medical leave encashment due to her. An application for Reimbursement of medical claim is being filed separately.

Kindly acknowledge receipt and expedite the matter.

Encl: Copy of death certificate of Shikha Pathak

Regards

Sanjai Kumar Pathak Contact no. 9868262260

Prat-85

'From,

Sanjai Kumar Pathak H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex ACJM-VIIth, Ghaziabad KA-14, Kaushambi, Ghaziabad

Mceile: 91-9958999737, 9868262260 Email: pathaklawyer@rediffmail.com

To, Sri Maharani Din Deputy Registrar (M) High Court of Judicature at Allahabad

10.09.2012

Subject: Medical bill reimbursement of Late Shikha Pathak.

Respected Sir,

My wife mrs. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VII, Ghaziabad was suffering from Acute Myeloid Leukaemia (Blood Cancer) since December 2006 and died on 07.03.2011 at AIIMS during the treatment.

She was hospitalised for the treatment in the years 2007, 2010 and 2011. All the medical bills during hospitalization, in original, have already been submitted and duly acknowledged. The details whereof are given below;

Year 2007

1.	BILL AMOUNT 6,88,901/-	AMOUNT SANCTIONED Rs.	5,52,471/-
2.	BILL AMOUNT 1,91,133/-	AMOUNT SANCTIONED Rs.	1,46,610/-
3.	BILL AMOUNT 1,20,799/-	AMOUNT SANCTIONED Rs.	79,778/-
4.	BILL AMOUNT 23,816/-	AMOUNT SANCTIONED Rs.	17,846/-

YEAR 2010

5. BILL AMOUNT Rs. 8,18,237/- AMOUNT SANCTIONED Rs. 7,46,673/-

YEAR 2011

6. BILL AMOUNT Rs. 5,67,307/-

Till date according to information received by me, sanction for reimbursement of Rs. 5,52,471 (serial no. 1) has been granted vide letter dated 08.09.2011.

Red: 85

Sanction for reimbursement of Rs. 7,46,673/-(serial no. 5) has been granted vide letter dated 14.05.2012. I have no other intimation. Since late Shikha Pathak had been given an advance of Rs. 9 lakhs, therefore, the amount of advance has to be adjusted against the total reimbursement to be made. However, I have not received any reimbursement so far.

Against a total reimbursement claim of Rs. 24,10,193/-, an amount of Rs. 15,43,378/- has been sanctioned so far and I am not aware about the status of reimbursement of Rs. 5,67,307/-(serial no.6).

It is, therefore, after adjustment of advance of Rs. 9,00,000/- an amount of Rs. 6,43,378/- already sanctioned and Rs. 5,67,307/- for the treatment in 2011 needs to be reimbursed expeditiously.

Kindly look into the matter and expedite.

Kindly acknowledge receipt.

Regards

Sanjai Kumar Pathak

H/o Late Smt. Shikha Pathak, Ex. ACJM-VIIth, Ghaziabad

CC: 1. The District Judge, Ghaziabad

2. Under Secretary, Appointment Section-IV, Govt. of U.P., Lucknow

Red- 85

From

Shikha Pathak

Addl Chief Judicial Magistrate -7, Ghaziabad

Admitted in AHMS since 8th June 2010 for treatment of BLOOD CANCER

TO

29-Jul-10

Shri Jurendra Bahadur

- URGENT

Joint Registrar (M)

High Court of Judicature at Allahabad

Through .

The District Judge

Ghaziabad.

17

Dated Stoglabod.

Sub: Re-submission of medical reimbursement claim Ref: Your letter No. 11271/IV-3226/Admin-A 1 Sec dated 20-7-2010

Mi

Respected Sir:

Kindly take reference of your above letter. As directed by you I am re-submitting my Original medical bills for the treatment undergone by me for Blood Cancer in 2007. The following is the detail of all the bills being re-submitted by me:

 Original Bill amounting to Rs 5,52,471/- Rupees five lakhs fifty two thousand four hundred seventy one (actual amount Rs 688901/-)

2. Original Bill amounting to Rs 1,46,610/- (rupees one lakh forty six thousand six hundred ten) (actual amounting to Rs 1,91,133/-)

3. Original Bill amounting to Rs 79,778/- (rupees seventy nine thousand seven hundred seventy eight) (actual bill amounting to rupees 1,20, 799/-)

4. Original Bill amounting to Rs 17, 846 (seventeen thousand eight hundred forty six) (actual amounting to Rs 23, 816/)-

You are humbly and earnestly requested to do the needful.

Yours faithfully,

Shileho pathale

Shikha

Cc: Under Secretary, Appointment Section-4, Lucknow.

Formarded to Ath Undox Secretary Appointment Section-4 Auckness

District Judge

प्रेषक, ८० ८ -कुॅवर फतेह बहादुर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन्। रांवा में, जिला न्यायाधीश,

RA-85

111.

निध्वित अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 🞖 👇 अगरतः 2011

विषय:-

श्रीमती शिखा पातक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्द्रेट—४, गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0-3702/ चार-3226/एडिमन-ए-1-सेक दिनांक 28.2.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 के अनुकम में चिकित्सा विभाग के शासनादेश सं0-1209/पॉच-6-2004/96 टी.सी. दिनांक 9.8.2004 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मिजरड्रेट-7, गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर धर्मशीला कैन्सर हारिपटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहली में दिनांक 28.12.2006 से 07.2.2007 तक करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष्य रू० 5,52,471/- (रू० पांच लाख बावन हजार चार सी इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में सलग्द है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के कार्यालय ज्ञाप रां0-728/दो-4-08-53 (4)/07 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा

स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू० १,००,०००=०० (रू० नौ लाख मात्र) के सापेक्ष्य समायोजित की जायेगी।

3— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके द्वारा उक्त चिकित्सा अग्रिम के अतिरिक्त कोई और अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम की वसूली श्रीमती शिखा पाठक से कर ली जाय। प्रश्नगत बिल वाउचर्स का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो।

्रिये - उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014–न्याय प्रशासन–आपोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायाधीश–03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश

त । | 49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

१ । १) 5- यह आदेश कित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2)1171/x/11 दिनांक-16.8.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

रांलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(कुॅवर फतेंह बहादुर) प्रमुख सचिव

संख्या—511(1) / दो—4—2011—53(4) / 2007, तददिनांक । प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

गहानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

3- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

्। 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

5- श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिरद्रेट--7, गाजियाबाद।

्र ६−्र गार्ड बुक।

3 SEP TOU

आज्ञा स, रूस्प्रीएउ) (डा० सुनील कुमार) अनु सचिव

@

प्रेष्ट्रक

राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 .

लखनऊः दिनांक । ५ मई, 2012

विषय:-

स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्द्रेट—7 गाजियाबाद की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (एम) मां० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या—19607/ चार—3226/एडिमन (ए—1) सेक दिनांक 23.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल स्व० श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट—7 गाजियाबाद की प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2010 से 01.9.2010 तक कराई गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष रू०= 7,46,673=00 (रू० सात लाख छियालिस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न हैं।

- 2— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—728/दो—4—08—53(4)/2007 दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम रू०= 9,00,000=00 (रू० नौ लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या—511/दो—4—2011 53(4)/2007 दिनांक 8.9. 2011 द्वारा रू० 5,52,471/— का समायोजन किया जा चुका है। अतः अव अवशेष अग्रिम रू०= 3,47,529/— का समायोजन उक्त स्वीकृति में से करते हुए अवशेष धनराशि रू० 3,99,144/—(रू० तीन लाख निन्यानबे हजार एक सौ चवालिस मात्र) का भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल वाउस का भुगतान इससे पूर्व न हुआ हो। यदि कोई अन्य चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो तो उसका भी समायोजन कर लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस धनराशि का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।
- 3— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—2013के आय व्ययक के अनुदान संख्या—42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक—2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेत्तर—105—सिविल और सेशन्स न्यायालय—09 पारिवारिक न्यायालय—49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—जी(2) 410/x/12 दिनांक 01.5..2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार) प्रमुख सचिव। संख्या:-3344(1) / दो-4-2011-53(4) / 2007, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद । 2-

कोषाधिकारी, गाजियाबाद। 3--

अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

श्री संजय कुमार पाठक, पति स्व0 श्रीमती शिखा पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट—आर0ओ0के0ए0—14 कौशाम्बी गाजियाबाद।

गार्ड बुक। 6्रिक्ष्में (सुधीन्द्रं कुमार) अनु सचिव,